न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 309 / 2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

लक्ष्मणदास बनाम जगराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

प्रार्थी वकील :- श्री श्रीराम विश्नोई

निर्णय दिनांक 02.11.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेडवा पटवार हल्का जानपालिया के मौजा दीपला के खेत खसरा संख्या 526 / 173 रकबा 4.8967 हैक्ट (30.05 बीघा) किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगडडी पैमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने पैमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजूद भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नही हुआ अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही [illegible] [illegible] अनवान पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली के सलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है. इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमी की पैमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर विवादित भूमि तहसील सेडवा पटवार हल्का जानपालिया के मौजा दीपला के खेत खसरा संख्या 526 / 173 रकबा 4.8967 हैक्ट (30.05 बीघा) किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेडवा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील / स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिए जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौका स्थिति व कब्जा काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील / स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश [illegible] नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पैमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी [illegible] [illegible] बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम [illegible] की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेडवा को आदेश दिया जाता है [illegible] नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति मे करावे एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण [illegible] व्याघात न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.11 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.11.2022 को न्यायालय के खुले इजलास में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी सेडवा

उपखण्ड अधिकारी सेडवा